न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 18/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शोकीननाथ पुत्र गुलाबनाथ जाति कालबेलिया जोगी निवासी चक नम्बर–3 लकुड़ी मगरी बिलाडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. दुर्गाराम पुत्र लालाराम 2. जगदीश पुत्र दुर्गाराम जातियान पटेल निवासीगण बेरा पडायों की ढीमड़ी बिलाडा तहसील बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 व 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री बिरमराम विश्नोई अधिवक्ता,
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अशोककुमार पटेल एडवोकेट,
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक 23/11/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जाशुद एवं पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टैयर ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–4 तहसील बिलाड़ा में स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी के पिता गुलाबनाथ के जीवनकाल से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का बाड़ा एवं आवासीय झौंपड़ी बनी हुयी है। अप्रार्थीगण ने विधिविरूद्ध रूप से दिनांक 27.10.2020 को षड़यन्त्र रचकर प्रार्थी के परिवार पर जानलेवा हमला कर आवासीय झौपडी व बाड़े को खुर्द बूर्द कर दिया। तथा जानमाल को खतरा उत्पन्न कर कब्जा कर लिया। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी ने पुलिस थाना बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–546/2020 को दर्ज करवायी। प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष का बनना पाया जाता हे तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी के पिता गुलाबनाथ का कब्जा रहने तथा उनके देहान्त के बाद प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के हक में है। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार होने से उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को होगी। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि को कुर्क कर तहसीलदार बिलाड़ा को रिसीवर मुकर्रर किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से अशोक कुमार पटेल एडवोकेट ने वकालतनाम पेश किया एवं साथ में जवाब प्रस्तुत किया, जो जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडऋा चक संख्या–4 की भूमि खसरा नम्बर 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टैयर के प्रार्थी खातेदार नहीं है। प्रार्थी की भूमि पुश्तैनी नही है। प्रार्थी उक्त विवादित भूमि पर निवास नही करता है। प्रार्थी ने दिनांक 27.10.

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2020 की घटना को गलत बताया है। अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट गलत दर्ज करवायी है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला, तुलनात्मक सुविधा व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पक्ष के नहीं बनना पाये जाते है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या–2 में वर्णित प्रार्थी की भूमि खातेदारी की है, जिसका उपयोग व उपभोग करने का पूरा अधिकार निहित है, जबकि अप्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं रेकर्डेड खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को प्रार्थी के उपयोग व उपभोग की भूमि में नाजायज दखल करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के हक में है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, तुलनात्मक सुविधा व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु बनना पाया जाता हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या–1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टैयर वाके ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–4 तहसील बिलाड़ा में प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अपने परिवार के सदस्य, एजेण्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करावें तथा न ही अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि के किसी भी भाग पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा